राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2262/2004

अशोक कुमार मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 15.10.2004
आदेश की दिनांक : 30.01.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि डीपीसी आयोजित कर रिक्ति वर्ष 2000–01 के विरूद्ध अथवा वर्ष 2001–02 के विरूद्ध आबकारी निरीक्षक ग्रेड प्रथम के पद पर अनुभव का 1/3 का लाभ देते हुए पदोन्नति प्रदान की जावे एवं समस्त पारिणामिक लाभ आदि भी दिए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आबकारी निरीक्षक ग्रेड द्वितीय के पद पर आदेश दिनांक 26.07.1996 के द्वारा हुई थी। अपीलार्थी अनुसूचित जनजाति वर्ग से है और राज्य सरकार के नियमानुसार अपीलार्थी आरक्षण प्राप्त करने का अधिकारी है। राजस्थान सेवा नियमानुसार प्रत्येक वर्ष के अप्रेल माह में रिक्तियों का सही निर्धारण किया जाना चाहिए। आबकारी निरीक्षक ग्रेड प्रथम का पद पदोन्नति के आधार पर भरा जाता है, जिसके लिए आबकारी निरीक्षक ग्रेड द्वितीय के पद पर 5 वर्ष का अनुभव आवश्यक है तथा वरिष्ठता कम मेरिट आधार पर उक्त पद पर पदोन्नति की जाती है। आबकारी निरीक्षक ग्रेड प्रथम के पद कुल 48 हैं और रोस्टर के आधार पर कम से

कम 5 कार्मिक जो अनुसूचित जनजाति वर्ग से हैं और पदोन्नति प्राप्त करने के भी हकदार हैं। वर्ष 1999–2000 में 9 रिक्त पद उपलब्ध थे, जो पदोन्नति से भरे जाने थे, जिसमें 3 पद अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए थे, जिसमें श्री घीसालाल, श्री दुर्गाप्रसाद एवं श्री प्रभुलाल को ग्रेड प्रथम के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई। श्री रतनलाल को रिक्ति वर्ष 1996–97 के विरूद्ध ग्रेड प्रथम के पद पर पदोन्नत किया गया। इसी प्रकार वर्ष 1998–99 में एसटी वर्ग के लिए 3 पद उपलब्ध थे। परंतु योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण उक्त पदों को वर्ष 1999–2000 में जोड़ा गया। डीपीसी की अभिशंषा के आधार पर आदेश दिनांक 19.08.2004 के द्वारा आबकारी निरीक्षक ग्रेड प्रथम के पद पर रिक्ति वर्ष 1999–2000 से 2004–05 तक की पदोन्नति प्रदान की गई और अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 2002–03 के विरूद्ध आबकारी निरीक्षक ग्रेड प्रथम के पद पर पदोन्नत किया गया, जो अनुसूचित जनजाति वर्ग से पदोन्नति का लाभ दिया गया। जबकि अपीलार्थी रिक्ति वर्ष 2000–01 के लिए उक्त पद पर पदोन्नति योग्य था। परंतु उक्त रिक्ति वर्ष के विरूद्ध उक्त पद पर पदोन्नति का लाभ नहीं दिया गया। अनुसूचित जनजाति वर्ग से रिक्ति वर्ष 1999–2000, 2000–01 एवं 2001–02 में उक्त पद के लिए पद रिक्त होते हुए भी अपीलार्थी के नाम पर पदोन्नति हेतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा विचार नहीं किया गया, जिससे अपीलार्थी को उक्त रिक्ति वर्षों के विरूद्ध पदोन्नति से वंचित होना पडा और उसे रिक्ति वर्ष 2002–03 के विरूद्ध पदोन्नत किया गया, जो विधि एवं नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि डीपीसी आयोजित कर रिक्ति वर्ष 2000–01 के विरूद्ध अथवा वर्ष 2001–02 के विरूद्ध आबकारी निरीक्षक ग्रेड प्रथम के पद पर अनुभव का 1/3 का लाभ देते हुए पदोन्नति प्रदान की जावे एवं समस्त पारिणामिक लाभ आदि भी दिए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि राजस्थान आबकारी अधीनस्थ (सामान्य शाखा) सेवा नियम, 1974 में किए गए प्रावधानानुसार आबाकारी निरीक्षक प्रथम श्रेणी के पद पर विभागीय पदोन्नति हेतु आबकारी निरीक्षक द्वितीय श्रेणी के पद का न्यूनतम अनुभव 5 वर्ष निर्धारित है। उक्त पद पर पदोन्नति हेतु अपीलार्थी का निर्धारित अनुभव दिनांक 01.04.2002 को पूर्ण होता है तथा रिक्ति वर्ष 2002–03 में

अपीलार्थी को आरक्षित वर्ग की रिक्ति पर पदोन्नत किया गया है। अनुभव में शिथिलन देने का नियमानुसार प्रावधान चालू वर्ष की विभागीय पदोन्नति समिति के लिए ही लागू है। विभाग द्वारा रिक्ति वर्ष 1999–2000 से 2004–05 तक की डीपीसी दिनांक 11.07.2004 को किए जाने के कारण निर्धारित अनुभव में शिथिलन वर्ष 2004–05 में ही देय होता है न कि पूर्व के वर्षों हेतु की जाने वाली डीपीसी में। इस प्रकार अपीलार्थी को नियमानुसार नियत वर्ष में ही पदोन्नति प्रदान की गई है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आबकारी निरीक्षक ग्रेड द्वितीय के पद पर आदेश दिनांक 26.07.1996 के द्वारा हुई थी। अपीलार्थी अनुसूचित जनजाति वर्ग से है। आबकारी निरीक्षक ग्रेड प्रथम का पद पदोन्नति के आधार पर भरा जाता है, जिसके लिए आबकारी निरीक्षक ग्रेड द्वितीय के पद पर 5 वर्ष का अनुभव आवश्यक है तथा वरिष्ठता कम मेरिट आधार पर उक्त पद पर पदोन्नति की जाती है। आबकारी निरीक्षक ग्रेड प्रथम के पद कुल 48 हैं और रोस्टर के आधार पर कम से कम 5 कार्मिक जो अनुसूचित जनजाति वर्ग से हैं, पदोन्नति प्राप्त करने के भी हकदार हैं। जहां तक अपीलार्थी को आबकारी निरीक्षक ग्रेड प्रथम के पद पर रिक्ति वर्ष 2000–01 अथवा 2001–02 के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान नहीं किए जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि उक्त पद पर पदोन्नति हेतु आबकारी निरीक्षक ग्रेड द्वितीय के पद का न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है। जबकि अपीलार्थी की नियुक्ति आदेश दिनांक 26.07.1996 के द्वारा आबकारी निरीक्षक ग्रेड द्वितीय के पद पर हुई थी और नियुक्ति तिथी के अनुसार अपीलार्थी को उक्त पद पर पांच वर्ष का अनुभव जुलाई 2001 में पूर्ण होता है और अनुभव पूर्ण होने उपरांत ही अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 2002–03 के विरूद्ध आबकारी निरीक्षक ग्रेड प्रथम के पद पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पदोन्नति प्रदान की गई है, जिसमें किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन होना प्रकट नहीं होता है। हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से भी सहमत हैं कि अनुभव में शिथिलन देने का नियमानुसार प्रावधान चालू वर्ष की विभागीय पदोन्नति समिति के लिए ही लागू है। विभाग द्वारा रिक्ति वर्ष 1999–2000 से 2004–05 तक की डीपीसी दिनांक 11.07.2004 को किए जाने के

कारण निर्धारित अनुभव में शिथिलन वर्ष 2004–05 में ही देय होता है न कि पूर्व के वर्षों हेतु की जाने वाली डीपीसी में। अतः अपीलार्थी के उक्त तर्कों में कोई बल न होने के कारण अपील खारिज फरमाए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य